

5/8/25

(एसडीओ) चौहटन

पत्रावली धाज पेडा हुई। गर्धी ककील उपास्थित।
मय गर्धी स्वयं उपास्थित। मूल वाड का निस्तारण
से चुडा व मूल वाड का निस्तारण होने से
गर्धना पत्र धिला से चलाने जाने का कोई
कोशिल्य नहीं होने से मूल वाड के साथ-
उक्त स्थान गर्धना पत्र धारा 212 के अंत के
इसी स्तर पर आरेज किया जाता व पत्रावली
उक्त नुमार लेकर डाकिले डाक्टर हो एवम
नम्बर से कम हो।

↓
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन



क
कदी वीराम
[Signature]